CANCELLED CANCELLED

281

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

R. 394-II/14

रा० रिवीजन क्रमांक/ अ-27/13-14

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता
07 JAN 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1. अन्नीलाल पिता कोदूलाल लोधी
2. टेकसिंह पिता अन्नीलाल लोधी
3. थम्मन सिंह पिता अन्नीलाल लोधी
4. अनारसिंह पिता अन्नीलाल लोधी
5. रैना बाई पुत्री अन्नीलाल लोधी
6. चंदन बाई जोजे अन्नीलाल लोधी

सभी निवासी केदारपुर तह० शहपुरा
जिला जबलपुर {म. प्र.} --------आवेदक गण

312

विरुद्ध

झलकन सिंह पिता अन्नीलाल लोधी
निवासी केदारपुर तह० शहपुरा
जिला जबलपुर म. प्र. --------अनावेदक

दिनांक 27.1.14 ... 27/1/14

पुनर्निरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 :-

याचिकाकर्ता गण न्यायालय श्रीमान् अतरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर के रा०अपील प्र०क्र०/167-अ-27/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2013 से अत्यधिक पीड़ित एवं क्षुब्ध होकर अन्य आधारों के अलावा निम्न लिखित कानूनी आधारों पर यह पुनर्निरीक्षण याचिका माननीयन्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है :-

पुनर्निरीक्षण याचिका के तथ्य

{1} यह कि आवेदक क्र. 01 के आवेदक क्र. 02 से लेकर 04 तक पुत्र है क्र. 05 पुत्री है क्र. 06 पत्नि है तथा अनावेदक पहली पत्नि का पुत्र है। आवेदक क्र. 01 की दो शादियां हुई थी जिससे पहली पत्नि की दो संताने थी जिसमें अनावेदक झलकन सिंह एवं तुलसीराम तथा दूसरी पत्नि आवेदक क्र. 06 से तीन पुत्र तथा एक पुत्री है।

{2} यह कि आवेदक के नाम से मौजा केदारपुरप०ह०नं० 61 रा०नि०मं० चरगवां तह० शहपुरा जिला जबलपुर में स्थित ख०नं० 69, 70, 71 रकबा क्रमशः 0.73, 1.95, 0.09 हे० कुल रकबा 2.77 हे० तथा मौजा बंवावारी प०ह०नं० 61 रा०नि०मं०चरगवां तह० शहपुरा जिला जबलपुर में स्थित ख०नं० 70/1, 72/1, रकबा क्रमशः 2.06, 0.88 हे० कुल रकबा 2.94 हे० भूमि है। जो कि राजस्व अभिलेखों में आवेदक क्र. 01 के नाम से दर्ज है।

क्रमशः//2//

R. 394/II/14 नवगछुर

26-10-16 नवगछुर कैम्प	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक ब्रजकन सिंह एवं उनकी आवेदक को समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है प्रकरण वाकिफ रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर)	द: अमलकर्ता/सी

[कृ. प. उ.